संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक 4056 /टीसी/123/सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 4/X/, /2022

प्रति,

1 कलेक्टर,
जिला सागर (म.प्र.)।

2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, सागर (म.प्र.)।

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला सागर (म.प्र.)।

4 आयुक्त
नगर पालिक निगम
जिला सागर (म.प्र.)।

विषय:- सागर विकास योजना, 2031 में मिश्रित उपांतरण बाबत। (ग्राम तिली माफी, वार्ड क्र. 47, तहसील सागर नगर जिला सागर का खसरा क्रमांक 184/1 रकबा 0.6119 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 184/2/1 रकबा 1.0481 कुल रकबा 1.660 हेक्टेयर) (लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग)

संदर्भ:- अपर सचिव, म.प्र. शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 25/07/2022.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा सागर विकास योजना, 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 4057 /टीसी/123/सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 4/X/ /2022

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-4 /10 /2022

क्रमांक 4054 /टीसी/123/सागर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **सागर** विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	तिली माफी (वार्ड क्र. 47) तहसील सागर नगर जिला सागर	184/1	0.6119	0.6119	प्रस्तावित आवासीय एवं वर्तमान मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
2.		184/2/1	1.0481	1.0481	प्रस्तावित आवासीय एवं वर्तमान मार्ग	मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग
	कुल रकबा		**1.660**	**1.660**		

नोट:-

1. **प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में स्थित तिल्ली-तिगड्डा से धर्मश्री चौराहा मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।**

शर्त :-

1 **उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।**

2 **उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल